न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	08.10.2013	20.04.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन विक्रेता मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक निवासी मेन बाजार पीपलू जिला टोंक
2–श्री नेमी चन्द जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक निवासी मेन बाजार पीपलू जिला टोंक

...... अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26की उप धारा (2) (ii)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0
2–अप्रार्थी की ओर से श्री विमल कुमार जैन।

:–**निर्णय**–: दिनांक 20.04.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.05.2013 को सायं 02:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वय को मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक का विक्रेता बताया एव खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र के बारे में पूछने पर बताया कि खाद्य अनुज्ञा पंजीकरण नहीं है एवं रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण हेतु टोंक भिजवाया हुआ है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, चीनी सरसों का तेल, बुरा व अन्य खाद्य पदार्थ रखे हुये थे तथा दुकान में लगभग 50 किग्रा क्षमता के प्लास्टिक कट्टे में बूरा जिसे [illegible] ब्रांड नाम अंकित नहीं था रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 [illegible] देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा [illegible] विक्रेता [illegible] फार्म न. 5 ए दो प्रतियों में भरकर प्रतियों में एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ [illegible] सुपुर्द कर विक्रेता को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि यह बूरा को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूं, बुरा के प्लास्टिक कट्टे को हिला मिलाकर एक रूप करके, एक साफ व सूखे खाकी कागज में लगभग 1 किलोग्राम वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री विमल कुमार जैन को रूपये 35/– अक्षरे पैंतीस रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक ने खरीदशुदा **बूरा** विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर खाकी कागज में बराबर–बराबर लगभग 250–250 ग्राम चार साफ व सूखी प्लास्टिक पोलीथीन में भरकर पोलीथीन को एयरटाइट बंद कर प्रत्येक 250–250 ग्राम को कांच के जार में भरा व प्रत्येक जार को ढक्कन से एयरटाइट बंद किया। खरीदशुदा चार नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–524 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–524 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2410 दिनांक 10.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 296/एफ.एस.एस.ए. 2013/297 दिनांक 31.05.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **बूरा** एफ.एस.एस.ए की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Murarilal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Str...) स्तर का बूरा विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम ... की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका दण्डनीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री विमल कुमार जैन उपस्थित हुए एंव किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना व अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बुरा** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बूरा** नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन विक्रेता मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक निवासी मेन बाजार पीपलू जिला टोंक पर शास्ति 12,500 (अक्षरे साढे बारह हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री नेमी चन्द जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार मेन बाजार पीपलू जिला टोंक निवासी मेन बाजार पीपलू जिला टोंक पर शास्ति 12,500 (अक्षरे साढे बारह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:07 IST
Reason: SelfAttested